(16)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्हल म0प्र0ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

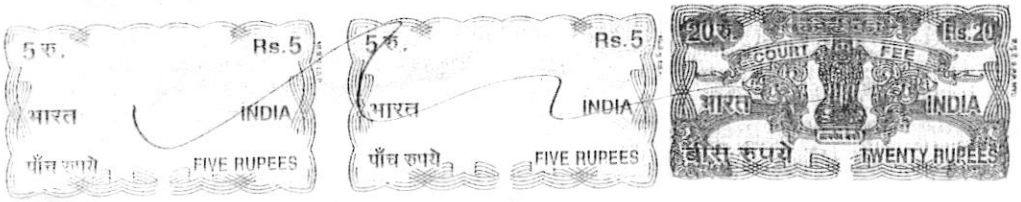

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

प्र.क्र. R. 5519-दो/16

हरी सिहं तनय श्री लालमणि सिहं उम्र 35 साल निवासी ग्राम कोटा,तहसील सेमरिया,जिला रीवा म0प्र0

आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी एडवोकेट द्वारा पेश किया गया 30/11/16

......................................निगरानीकर्ता

बनाम

1. अहिवरण सिहं तनय श्री इन्द्रभान सिहं निवासी कोटा,तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

2. रावेन्द्र सिहं तनय श्री रामनिवास सिहं
3. सूर्यभान सिहं पिता श्री रामनिवास सिहं
निवासी ग्राम कोटा,तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
4. म0प्र0शासन .... अनावेदकगण

निगरानी बिरूद्ध राजस्व निरीक्षक मंडल सेमरिया एवं हल्का पटवारी हरदुआ, तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0के आदेश दिनांक 29.9.016 के बिरूद्ध अन्तर्गत धारा 5 म0प्र0भू0रा0सं0के अधीन निगरानी याचिका

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न हैः-

1. यह कि , अधीनस्थ कार्यालय का आदेश बिधि के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि , स्पस्ट किया जाता है कि आराजी नम्बर 908/5 रकबा 0. 240आरे0 के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी आवेदक है, जिस भूमि मे आवेदक का रहायसी मकान एवं टियूब बेल स्थित है। जिस भूमि मे आवेदक का संपूर्ण निश्तार व हित चला आ रहा है।
3. यह कि , अनावेदकगण आपस मे एक राय होकर अनावेदक कमांक 2,3 के सहयोग से अनावेदक कमांक 1 हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को अपने प्रभाव मे लेते हुये आवेदक एवं अन्य

हरी सिहं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5519–दो/16 जिला–रीवा

(1)	(2)	(3)
18.07.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंण्डल सेमरिया एवं हल्का पटवारी हरदुआ तहसील सेमरिया जिला रीवा के आदेश दिनांक 29.9.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी न0 908/5 रकवा 0.140 आरे के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी आवेदक हैं जिस भूमि में आवेदक का संपूर्ण निस्तार व हित चला आ रहा है। उनके द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है कि अनावेदकगण आपस में एक राय होकर अनावेदक कमांक 2, 3 के सहयोग से अनावेदक कमांक 1 हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को अपने प्रभाव में लेते हुये आवेदक एवं अन्य सह भूमिस्वामी पक्षकारों को सूचना व सुनवाई के वगैर 0.58 एकड़ भू–भाग का नक्शा तरमीम करवा लिया है, जबकि उक्त भूमि न0 908/4 में अनावेदक कमांक 1 का मात्र 0.18 एकड़ भू–भाग ही हक व हिस्सा है। शेष 0.40 एकड़ भू–भाग हक व हिस्सा अनावेक कमांक 1 का अन्यत्र हक व हिस्सा है जो बदले में बंश बहोर को दे चुका है लेकिन अनावेदक आपस में कपट संधि करते हुये आवेदक के हिस्से को प्रभावित करने उदेश्य से 0.18 एकड़ भू–भाग के स्थान पर 0.58 एकड़	

भाग का नक्शा तरमीम करवा लिया गया है जो अबैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क में कहा गया है कि संहिता के प्रावधान के अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही मौके में कब्जे की स्थिति के अनुसार मौके के जांच स्थल पंचनामा एवं कब्जा प्रतिवेदन के आधार पर तरमीम की कार्यवाही की जानी चाहिये। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि नक्शा तरमीम का आदेश दिनांक 29.09.16 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है, जोह उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

4— प्रकरण में संलग्न नक्शा तरमीम का अवलोकन करने पर पाया गया है, कि पटवारी द्वारा आराजी नं0 908 / 3 ख, 908 / 4 का पेन्सिली तरमीम किया गया है तथा आराजी नं0 908 / 3 ख, 908 / 4 का पेन्सिली तरमीम किया गया उसको राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया एवं हल्का पटवारी हरदुआ, तहसील सेमरिया , जिला रीवा के आदेश दिनांक 29.09.16 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अत आदेश दिनांक 29.09.16 स्थिर रखा जाता है। आवेदक चाहे तो वह साक्ष्य एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य